



2025/653

10.9.2025

फर्द अहकाम (नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
हंसराज बनाम शम्भुराम आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 453 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12.08.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">o/</p>	
20.10.2025	<p style="text-align: center;">  </p>	
11.9.2025	<p style="text-align: center;">  </p>	
12/09/25	<p>वकील वादी उपस्थित। अग्रार्थी सं. 1 अकनुद विधिवत बलि सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं इसलिसे अलिखी सं. 1 के खिलाफ कार्रवाई एकतरफा प्रकलन में ली जाती है। पत्रावली वाले जज के डेट आईन्दा तार 18/9/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">o/</p>	
10.9.2025	<p>वकील वादी उपस्थित। स्टेट अकाउंट्स आफ मुनीगरी प्रशासकीय अकाउंट्स के अन्तर्गत प्रशासकीय पर उपखण्ड लिबररी आई के आवाज पर वाद की डिब्री प्रिया जाता है। मुर्दा अकनुद सहित अलिख अलग से लिखता जाकर शामिल प्रकलन प्रिया अखी प्रशासकीय गवर्नर के नाम की अकनुद काउंटर प्रशासकीय अकनुद का अलिख अकनुद हो।</p> <p style="text-align: center;">o/</p>	

